



प्रेस नोट

दिनांक 14.12.2024 थाना अरौल कमि० कानपुर नगर

- थाना अरौल कानपुर नगर पुलिस की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्क़र गिरोह के 01 शातिर तस्क़र को गिरफ्तार कर भेजा जेला।

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों के क्रय, विक्रय व परिवहन की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन पश्चिम व श्रीमान पुलिस उपायुक्त अपराध, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त जोन पश्चिम व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त अपराध कमिश्नरेट कानपुर नगर के कुशल निर्देशन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर महोदय के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिरखास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त देवेन्द्र राजपूत पुत्र बृजलाल राजपूत निवासी ग्राम चौखता थाना तालग्राम जिला कन्नौज उम्र 21 वर्ष को 5.350 कि०ग्रा० नाजायज गांजा के साथ गागूपुर ओवर ब्रिज के पास सर्विस लाइन से दिनांक 13.12.2024 समय करीब 23.07 बजे गिरफ्तार किया गया एवं अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी होने पर थाना क्षेत्र की जनता द्वारा थाना पुलिस की भूरि भूरि प्रशंसा की जा रही है।



➤ गिरफ्तार (नाम/पता) अभियुक्त-

- देवेन्द्र राजपूत पुत्र बृजलाल राजपूत निवासी ग्राम चौखता थाना तालग्राम जिला कन्नौज उम्र 21 वर्ष

➤ अपराधिक इतिहास

- मु०अ०सं० 207/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।

➤ गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम -

1. निरीक्षक श्री जनार्दन सिंह यादव थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।
2. उ०नि० अरुण कुमार राठी थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।
3. उ०नि०यूटी विशाल कुमार शर्मा थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।
4. उ०नि०यू०टी० गौरव राजौरै थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।
5. हे०कां० 315 शेख तसौवर थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।
6. कां० 2445 सौरभ बंसल थाना अरौल कमि० कानपुर नगर।